

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1483 /2026

1. प्रेम गोप उर्फ प्रेमजीत कुमार, पे0 इंद्रजीत कुमार
साकिन-चुरामन बिगहा, थाना-वेना, जिला-नालन्दा....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार

29.07.2026

बिहारशरीफ थाना कांड संख्या-121/2026 अंतर्गत धारा- 126(2), 115(2), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त प्रेम गोप उर्फ प्रेमजीत कुमार की ओर से पूर्व से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0-1483/26 को वापसी हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त कराया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक प्रेम गोप उर्फ प्रेमजीत कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या1-1483/26 दाखिल किया गया था। आज उनके विद्वान् अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर कहा है कि आवेदक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर कारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। अतः वे उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचना के उपरान्त आवेदक के निवेदन को **स्वीकार** करते हुए आवेदक के उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह0/-

(धीरज कुमार भास्कर)

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्

सह विशेष न्यायाधीश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम

नालन्दा, बिहारशरीफ।